रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255582
CG-DL-E-19072024-255582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 390]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

संख्या 03/2024-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 427(अ).— जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "नए/अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायर ट्यूब के साथ या बिना और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका नाममात्र रिम व्यास कोड 16" से ऊपर है, बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाते है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आते हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी दिनांक 25 मार्च 2019 के तहत प्रकाशित हुए थे, विषयगत देश में मूलत: उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाने की सिफारिश की थी;

और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 जून 2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 449 (अ), दिनांक 24 जून 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर निश्चित काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाया था।

जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 29 दिसंबर 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/30/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर 2023 के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (6) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 24 के अनुसरण में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 जून 2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 449 (अ), दिनांक 24 जून 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं, जो प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आते हैं, जो विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाते हैं और भारत में आयातित किए जाते हैं, लगाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी जारी रखने के मामले में समीक्षा शुरू की थी;

और जबकि, विषयगत देश में मूलतः उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी' की समीक्षा के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जो अधिसूचना संख्या 7/30/2023-डीजीटीआर, दिनांक 22 अप्रैल , 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

i. संबद्ध देश में उत्पादक सब्सिडी का लाभ उठाना जारी रखे हुए हैं, जिन्हें मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था।

ii. न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की मांग है कि किसी कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनशीलता का निर्धारण तभी प्रासंगिक और उचित है जब लाभ के परिमाणीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो और रिकॉर्ड में हो। प्राधिकारी साक्ष्य के परिमाणीकरण के लिए अपने आप साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकते। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने माना है कि चीनी उत्पादकों ने वर्तमान जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है और प्रतिसंतुलन शुल्क की मात्रा की सिफारिश करते समय उचित रूप से इस पर विचार किया है।

iii. घरेलू उद्योग को जांच की वर्तमान अवधि के दौरान निरंतर क्षति नहीं हुई है, क्योंकि विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संबंध में इसके निष्पादन में गिरावट नहीं आई है।

iv. वर्तमान काउंटरवेलिंग ड्यूटी समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।

और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चित काउंटरवेलिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की है।

अब, इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 24 के तहत, केंद्र सरकार, नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि कॉलम (2) में संबंधित

प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों में उत्पन्न हुई हैं, कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यात की गई हैं, कॉलम (6) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित की गई हैं, और भारत में आयात की गई हैं, उक्त तालिका के कॉलम (7) में उल्लिखित दर पर गणना की गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं	टैरिफ आइटम	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	सी आई एफ मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	40112010 और 40118000*	नए/अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायर ट्यूब के साथ या बिना और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका नाममात्र रिम व्यास कोड 16" से ऊपर है, बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाते है ।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई	17.57%
2.	- तदैव -	- तदैव -	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	17.57%

*40118000 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आयातों पर शुल्क तभी देय होगा जब उत्पाद का विवरण ऊपर दिए गए विवरण से मेल खाता हो। 40118000 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए अन्य आयातों के संबंध में कोई काउंटरवेलिंग ड्यूटी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इसे पहले ही रद्द, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं कर दिया जाता) तथा यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण **:-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) ऐसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत समय-समय पर जारी की जाती है, और विनिमय दर के

निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुति की तारीख होगी।

(ख) "सीआईएफ मूल्य" का तात्पर्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य से है।

[फा. सं. 190354/107/2024-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

No. 03/2024-Customs (CVD)

G.S.R. 427(E).— Whereas, in the matter of "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim diameter code above 16" used in buses and lorries/trucks" (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from, China PR (hereinafter referred to as the 'subject country'), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section1, dated the 25th March 2019 had recommended imposition of definitive countervailing duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive countervailing duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2019-Customs (CVD), dated 24th June 2019, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 449(E), dated the 24th June 2019.

Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/30/2023-DGTR, dated the 29th December 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th December 2023 had initiated the review in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, and in pursuance of rule 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of countervailing duty on imports of subject goods, falling under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, subject country and imported into India, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2019-Customs(CVD), dated the 24th June 2019 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 449(E), dated the 24th June 2019;

And whereas, in the matter of review of countervailing duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/30/2023-DGTR, dated the 22nd April, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd April, 2024, has *inter-alia* come to the conclusion that –

i. producers in the subject country continue to avail benefits of subsidies that were held to be countervailable in the original investigation,

ii. principles of judicial economy demand that a determination of countervailability of a program is relevant and appropriate only if information with regard to quantification of benefit is available and is on record. The Authority cannot on its own collect evidence for quantification of evidence. In any case, the Authority has considered that the Chinese producers have not fully cooperated in the present investigation and has appropriately considered the same while recommending the quantum of countervailing duty,

iii. the domestic industry has not suffered continued injury during the present period of investigation in as much as it has not suffered deterioration in its performance with regard to various economic parameters,

iv. there is a likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present countervailing duty,

and has recommended continuation of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty calculated at the rate mentioned in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty amount as a % of CIF Value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	40112010 and 40118000*	New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks	China PR	Any country including China PR	Any	17.57%
2.	- do -	– do –	Any country other than China PR	China PR	Any	17.57%

*The duty shall be payable on imports reported under 40118000 only if the description of the product confirms to the description given above. No countervailing duty shall be charged in the respect of other imports reported under 40118000.

3. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*: –** For the purposes of this notification, -

(a) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/107/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.19 22:54:23 +05'30'